

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
69/2024

दायर दिनांक
04.03.2024
उनवान


निर्णय दिनांक
16.04.2024

1. सुखा पुत्र बख्तावर जिला भीलवाडा (राज०) कुम्हार आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. डाली पुत्री बगता कुम्हार आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
2. बरजी देवी पत्नी बगता कुम्हार आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
3. मोहनी देवी पुत्री बगता कुम्हार आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
4. गंगा पत्नी कैलाश चन्द्र तेली आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
5. जमना पत्नी किशन तेली आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. तुलसी देवी पुत्री मोडा तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
7. देऊ देवी पुत्री मोडा तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
8. देबी पुत्र भैरू गाडरी आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
9. भंवर पुत्र नानू जाट आयु वयस्क निवासी मलाण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
10. मेघा पत्नी माधु तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
11. माधु पुत्र हजारि तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
12. रुकमा देवी पत्नी मोडा तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
13. रणजीत पुत्र चौधू जाट आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. रामलाल पुत्र मोडा तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
15. विमला पत्नी रामलाल तेली आयु वयस्क निवासी केशवपुरा, आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
16. विशाल पुत्र राधेश्याम तेली आयु वयस्क निवासी आरजिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
17. शंकर पुत्र नानू जाट आयु वयस्क निवासी मलाण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
18. हीरा पुत्र नानू जाट आयु वयस्क निवासी मलाण तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार प्रजापत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरजिया प०ह० आरजिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2071—2074 के खाता संख्या 330 की अभिलिखित आराजियात 1329 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Shah

उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 330 की अभिलिखित आराजियात 1329 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपनिर्देश अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा